कार्यालय संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा कोटा संभाग,कोटा

क्रमांकः संयु.निदे / स्कूलशिक्षा / को / संस्था–3 / नियु.वरि.कम्प्यू.अनु / 2022(नॉन टीएसपी) / 2023 / 220 दिनॉकः 29.03.2023

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1 / 12102 (200-A) / सी.भ. / वरि.कम्प्यू.अनु. / 2022 दिनांक 16.02.2023. एवं पत्र क्रमांक शिविरा–मा / संस्था / एफ–1 / 12102(200-A) / सी.भ. / वरि.कम्प्यू.अनु. / 2022 दिनांक 28.03.2023 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा–2022 **से चयनित अभ्यर्थियो को वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक (नॉन टीएसपी)** पद पर नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थी को **वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक (नॉन टीएसपी)** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल 10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700 / –रू0प्रतिमाह / विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जाए। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. पदस्थापित अभ्यर्थियो को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजो की जॉच आवश्यक रूप से की जावे ।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी / ए–II / 95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50 / – रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 50 / –रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जाए ।
6. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50 / – रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जाये । कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh Gaur
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.29 16:39:01 IST
Reason: Approved

7. **संस्था प्रधान के स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:–**

(अ) **अन्य** पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र मे जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है,अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है, तो उसका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाएं।
(ब) अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें।यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
(स) अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित जिन अभ्यर्थियो के नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नही है, उनके संबंध मे नियमानुसार नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावे तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही इन आशार्थियो को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाया जावें ।
उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता संस्था प्रधान अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराएं।

8. चयनित अभ्यर्थियो को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/– रू0प्रतिमाह /विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि मे फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा–महंगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महंगाई वेतन (डी.पी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नही होगा।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जायेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिये गणना योग्य नही माना जावेगा।
12. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण न करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाये ।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि मे इन्हे कैलेण्डर वर्ष मे केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लिया जावें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
15. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगे।
16. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक क–2/06पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबंधता(Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

Signature valid
Digitally signed by Surendra Singh Gaur
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.29 16:39:01 IST
Reason: Approved

17. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 18.04.2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा,अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा

क्रमांकः संयु.निदे/स्कूलशिक्षा/को/संस्था–3/नियु.वरि.कम्प्यू.अनु/2022(नॉन टीएसपी)/2023/220 **दिनॉकः 29.03.2023**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
2– प्रमुख शासन सचिव,शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
3– शासन उपसचिव,शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
4– शासन उपसचिव,कार्मिक(क–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
5– सचिव,राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर
6– निदेशक,माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर
7– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
8– जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
9– संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ....
10–संबंधित संस्था प्रधान,उमावि/मावि–––––––––
11–संबंधित आशार्थी
12–रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा

Signature valid
Digitally signed by Surendra Singh Gaur
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.29 16:39:01 IST
Reason: Approved

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा

सूची

क्रमांक : संयु.निदे/स्कूलशिक्षा/को/संस्था–3/नियु..वरि.कम्प्यू.अनु/ (नॉन टीएसपी)/2023/220 दिनांक 29.03.2023

S.NO	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FATHER NAME	Address	District	DOB	CATE	H_CATE	SEL_CATE	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान	जिला	फोटो
1	406373	29	DINESH CHAND GUPTA	HUKAM CHAND GUPTA	VILLAGE- BALOTI TEHSIL SAPOTARA DISTT- KARAULI - BALOTI PINCODE 322202	KARAULI	27-07-1986	GEN-EWS		GEN	SHRI HIRA BHAI PARIKH GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGANJMANDI (216670)(08300427601)	KOTA	
2	407374	45	GOURAV SISODIYA	SHIVRAJ SINGH SISODIYA	S/O SHIVRAJ SINGH SISODIYA, NEAR TIRATH CEMENT SHOP, RETWALI, KOTA CITY - KOTA PINCODE 324006	KOTA	31-10-1995	OBC		GEN	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHAIRABAD (216671)(08300411608)	KOTA	
3	412852	57	YOGESH KATARA	BALAWANT KATARA	VILLAGE JUNI RAMBHAPUR POST RAMBHAPUR TEHSIL MEGHNAGAR - RAMBHAPUR PINCODE 457779	JHABUA	20-07-1996	GEN		GEN	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAUMAHLA (224721)(08320638117)	JHALAWAR	
4	403758	124	ANKIT KUMAR GAUTAM	GOVIND NARAYAN SHARMA	MB 153-A SWAMI VIHAR PT.T.N. MISHRA MARG NIRMAN NAGAR - JAIPUR PINCODE 302019	JAIPUR	27-06-1992	GEN		GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAINWAN (222263)(08230322304)	BUNDI	
5	422137	198	ABHISHEK YOGI	DURGA DUTT YOGI	S/O DURGA DUTT YOGI V&P JAIRAMPURA VIA JAHOTA DIST JAIPUR RAJASTHAN - Jaipur PINCODE 303701	JAIPUR	31-05-1996	OBC		OBC	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHHABRA (217580)(08310424304)	BARAN	

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh Gaur
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.29 16:38:31 IST
Reason: Approved

क्रमांक : संयु.निदे/स्कूलशिक्षा/को/संस्था–3/नियु..वरि.कम्प्यू.अनु/ (नॉन टीएसपी)/2023/220 दिनांक 29.03.2023

S.NO	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FATHER NAME	Address	District	DOB	CATE	H_CATE	SEL_CATE	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान	जिला	फोटो
6	404493	210	RAKESH NAGAR	RAM BILAS NAGAR	KARWAR TEHSIL NAINWA - KARWAR PINCODE 323616	BUNDI	17-08-1991	OBC		OBC	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NAHARGARH (217624)(08310603017)	BARAN	
7	429388	214	BANWARI LAL NAGAR	DHAN RAJ NAGAR	BARD GUWALYIA, POST-LAIPHAL - - Bard Guwaliya PINCODE 326001	JHALAWAR	15-07-1990	OBC		OBC	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL CHANDKHERI (500445)(08320108201)	JHALAWAR	
8	410832	222	SURESH SAINI	GHANSHYAM SAINI	NEAR DEV NARAYAN TEMPLE PADAM PURA ROAD GONER PINCODE 303905	JAIPUR	25-09-1990	OBC		OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LATOORI (216693)(08300501103)	KOTA	

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
कोटा संभाग कोटा

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh Gaur
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.29 16:38:31 IST
Reason: Approved